न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या 2016/00059 (256/2016) 75 एलआरएक्ट

जसविन्द्र सिंह उर्फ कूकासिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति रामगढिया निवासी केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगांगनगर। ––अपीलांट्

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955

विरूद्ध आदेश दिनांक 14.09.201 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रावतसर

श्री रामस्वरूप नांदेवाल, अभिभाषक अपीलांट

श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय:– दिनांक:–02.04.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि तहसील रावतसर के 109 आरडी की 39 बीघा भूमि अपलाण्ट को बतौर भूमिहीन आवंटित की गई थी। भूमि की किश्तें जमा नहीं करवाने के कारण खारिज हो गई थी। उक्त भूमि की बकाया राशि जमा करवाई जाकर रकबा बहाल किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के पिता को आवंटित हुई थी और आवंटन की दिनांक से ही अपीलाण्ट के परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं । वर्तमान में अपीलाण्ट की ग्वार की फसल खड़ी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसे सुनवाई का अवसर नही दिया कब्जे की जांच किये बिना ही पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने केवल सेल रजिस्टर देखकर ही कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार की है। अपीलाण्ट विवादित भूमि की किश्तें जमा करवाकर उक्त रकबा को बहाल कराने के लिए उत्सुक और तत्पर है। प्रश्नगत रकबे के आवंटन को निरस्त करने के संबंध में अपीलाण्ट के पिता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जबकि आवंटन निरस्त करने से पूर्व अपीलाण्ट के पिता को नाटिस दिया जाना आवश्यक था। प्रश्नगत भूमि उपायुक्त एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ द्वारा आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवंटिन की अनुशंसा के आधार पर लॉटरी के आधार पर आवंटित की गई थी अपीलाण्ट आज भी भूमिहीन काश्तकार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कि अपीलाण्ट द्वारा आज दिनांक तक एक भी किशत खजानाराज में जमा नहीं करवाई गई है। अपीलाण्ट को प्रश्नगत भूमि का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन खारिज किया गया है। आवंटी के नाम से सैल रजिस्टर में खुले खाता सं0 15 पर नोट का अंकन है। वर्तमान में उक्त रकबा –रकबाराज है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट का कथन है कि यह भूमि उसके पिता को बतौर भूमिहीन आवंटित हुई थी। जो खारिज हो गई है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट के परिवार का कब्जा काश्त है और वह बकाया किश्तें जमा करवाकर भूमि को बहाल करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के पिता को 12.10.1982 को कीमतन आवंटित हुई थी, लेकिन आवंटी द्वारा प्रश्नगत भूमि की एक भी किश्त जमा नहीं करवाई गई व कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन को खारिज करने का आवंटी के नाम से सैल रजिस्टर में नोट अंकित है। प्रश्नगत रकबा –रकबाराज है अन्य कोई विवाद नहीं है रकबा खाली है। अपीलाण्ट द्वारा अब बकाया राशि जमा कराने का आग्रह किया गया है, जबकि रकबा पूर्व में कब्जा नहीं लेने के कारण खारिज हो चुका है। अपीलाण्ट ने पूर्व में राशि जमा क्यों नहीं करवाई गई इसका कोई संतोषजनक जवाब अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपील अपीलाण्ट निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2016 को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

02/4/19

मूल चन्द (आर0ए0एस0)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ